संख्या–329 / एक–11–2021

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11 **लखनऊः दिनांक 04 मई, 2021**

विषय– कोविड–19 की द्वितीय लहर के दृष्टिगत पूर्व में स्थापित आश्रय स्थलों व कम्यूनिटी किचेन्स को क्रियाशील करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषय पर अवगत कराना है कि कोविड–19 की द्वितीय लहर के दृष्टिगत विभिन्न राज्यों/जनपदों से प्रवासी मजदूर/श्रमिक/कामगार आदि व्यक्ति वापस अपने मूल गृह जनपद में आ रहे हैं। उक्त प्रवासी व्यक्तियों की जांच तथा उनको क्वारंटाइन किए जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रत्येक जनपद स्तर पर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन कैम्प स्थापित किए जाने के दिशा–निर्देश मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–698/2021–सी एक्स–3 दिनांक 13–04–2021 द्वारा दिए गए हैं।

2– मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के उक्त निर्देशों के कम में राजस्व अनुभाग–11 के पत्र संख्या–309/एक–11–2021–198/2020 दिनांक 15.04.2021 द्वारा कोविड–19 की द्वितीय लहर के दृष्टिगत विभिन्न राज्यों/जनपदों से प्रवासी मजदूरों/श्रमिकों/कामगारों/व अन्य व्यक्तियों के प्रदेश में आगमन पर जनपदों में अस्थायी स्थल/क्वारंटाइन/स्क्रीनिंग कैम्प स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश दिए गए है।

3– उल्लेखनीय है कि गत वर्ष 2020–21 में कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत घोषित लाकडाउन के दौरान जनपदों में अस्थायी स्क्रीनिंग कैंप/आश्रय स्थल तथा कम्यूनिटी किचेन्स स्थापित किए गए थे तथा प्रवासियों की बृहद संख्या के दृष्टिगत काफी आश्रय स्थलों को तैयार स्थिति में रखा गया था। ऐसे सभी स्क्रीनिंग कैंप/आश्रय स्थलों की जियो टैगिंग भी की गयी थी। इनका विवरण rahatup.in पोर्टल पर अपलोड भी किया गया था एवं अभी भी रक्षित है।

4– **इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों में चिन्हित अस्थायी स्क्रीनिंग कैंप/आश्रय स्थलों तथा कम्यूनिटी किचेन्स को तैयार स्थिति में रखा जाना है जिसका आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपयोग किया जा सके।**

5– जनपदों में कम्युनिटी किचन संचालित किये जाने के सम्बन्ध में राजस्व अनुभाग–11 के शासनादेश संख्या–308/एक–11–2020 दिनांक 25.04.2020, शासनादेश संख्या–330/एक– 11–2020 दिनांक 05.05.2020 एवं शासनादेश संख्या–309/एक–11–2021–198/2020 दिनांक 15.04.2021 द्वारा विस्तृत निर्देश दिये गये हैं, जिसे पुनः दोहराया जा रहा है।

(1) अस्थायी आश्रय स्थल में सुरक्षित स्थान पर अस्थायी किचन बनाकर उत्तम गुणवत्ता का भरपेट शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(2) कम्युनिटी किचन में कार्य हेतु रखे जाने वाले कार्मिकों का रखे जाने से पूर्व कोविड–19 की आर0टी0पी0सी0आर0 जांच अनिवार्य रूप से करायी जाय तथा कोविड निगेटिव रिपोर्ट होने की दशा में ही कार्मिक को भोजन बनाने व अन्य कार्य हेतु रखा जाय। खाना बनाने व परोसने वाले व्यक्तियों का नियमित अन्तराल पर चिकित्सकीय परीक्षण व आर0टी0पी0सी0आर0 कराया जाय। खाना बनाने व परोसने मे लगे कार्मिकों तथा किचन व आश्रय स्थल पर कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति डबल मास्क, ग्लव्स एवं कैप का प्रयोग

अनिवार्य रूप से किया जायेगा। खाना बनाने व परोसने वाले व्यक्तियों द्वारा सिर पर कैप या कपड़ा लपेटा जाये ताकि भोजन में बाल इत्यादि टूटकर न गिर सके।

(3) किचन में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाय। दिन में दो बार किचन की सफाई/सैनिटाइजेशन किया जाय।

(4) किचन से भोजन वितरण के समय प्रत्येक दशा में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। खाने वाले व्यक्तियों की संख्या का सही–सही अनुमान करके भोजन बनाया जाये। किसी भी दशा में भोजन का न तो अपव्यय हो और न ही कोई व्यक्ति बिना भोजन के रहे।

(5) जनपद में यदि स्वयंसेवी/गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कम्युनिटी किचन संचालित किये जा रहे है, उनकी भी नियमित रूप से स्क्रीनिंग साफ सफाई, सैनिटाइजेशन व किचन मे लगे कार्मिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा।

6– कम्युनिटी किचन के संचालन स्थल का विवरण एवं इसके लिये नामित इन्चार्ज का विवरण यथा–नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर आदि राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर फीड कराया जायेगा। कम्युनिटी किचन में प्रतिदिन बनाये जा रहे भोजन के वितरण का विवरण, पैकेट की संख्या, मोहल्ले का नाम, वितरण का दिनांक तथा किस अवधि का वितरित किया गया (सुबह/शाम) आदि भी फीड कराया जाय। राहत हेल्पलाइन तथा सी0एम0 हेल्पलाइन से भोजन पैकेट वितरण आदि से सम्बन्धित विवरण की क्रास चेकिंग भी की जायेगी।

7– **अतः कृपया प्रवासी श्रमिकों/कामगारों/मजदूरों/अन्य व्यक्तियों के जनपद में आगमन के दृष्टिगत आश्रय स्थल एवं कम्युनिटी किचन संचालित किये जाने का आंकलन कर आवश्यकतानुसार कम्युनिटी किचन/आश्रय स्थल का संचालन तत्काल करने का कष्ट करें।**

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया

04/5/21

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–329(1)/एक–11–2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3– अध्यक्ष, मा0 राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
4– समस्त अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5– अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज, उ0प्र0 शासन।
6– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7– राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
8– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
9– अनुभाग अधिकारी, राजस्व अनुभाग–11 को shasanadesh.up.gov.in पर मंगल फान्ट में अपलोड किए जाने हेतु।
10– राजस्व अनुभाग–10/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

GO-R-11/2021-131